खण्ड-2 संख्या-6

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

शुक्रवार, तिथि 29 जून, 1990 ई०

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि 29 जून 1990 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष **श्री गुलाम सरवर** के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

पटना
तिथि 29 जून, 1990 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

श्री इंदर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने कहा 1.1.90 से इन्होंने नियुक्ति रद्द की है लेकिन डालटेनगंज सिविल सर्जन ने जालसाजी करके 1.1.90 से पहले की नियुक्ति के कागजात तैयार कर लिये हैं ।

श्री रघुनाथ झा : मैं इसकी भी जांच करवा लूँगा ।

(ज) टेल्को एवं टिस्को प्रबंधन के विरुद्ध विविध आरोप :

श्री समरेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर स्थित टेल्को एण्ड टिस्को प्रबंधन सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए सहकारी प्रबंध समिति को भंग कर दिया है, त्रिपक्षीय समझौता का उल्लंघन किया है । श्रम विरोधी छंटनी नीति, स्थायी आदेश का दुरुपयोग, स्थानीय निवासियों को नियोजन से इंकार आदि गंभीर अपराधों में संलग्न है । अध्यक्ष महोदय, अभी मुख्य मंत्री सदन मे नहीं हैं, श्रम मंत्री उपस्थित हैं, मैं इस पर आश्वासन चाहता हूँ कि इस सदन की समिति बनाकर इसकी जांच करायी जाय ।

श्री वृषिण पटेल : माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है उसको ग्रहण करता हूँ और सरकार इस पर आवश्यक कार्रवाई करेगी ।

(झ) ग्रामीणों को पुनर्वासित किए बिना भूखंड अधिग्रहण :

श्री सूरज मंडल : धनबाद जिला के चास प्रखंड के लेवाटाड़ और धनडेवरा गाँव के लोगों की जमीन बोकारो कारखाने के लिए अर्जित किया है । ग्रामीणों को पुनर्वासित किये बिना ही